

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार



फोन नं० : ०१३३४-२३९००२, फैक्स नं० : ०१३३४-२३९०१०

E-mail आईडी० : cmoharidwar@rediffmail.com, cmoharidwar20167@gmail.com

उत्तराखण्ड शासन

पत्रांक-एन०टी०सी०पी०/२०२२-२३ / २३८५ -०१-०५

दिनांक-०५.०४.२०२२

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी
हरिद्वार

विषयक — राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू मुक्त पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अधीक्षता में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन०टी०सी०पी०) की state level coordination committee (SLCC) की दिनांक 12 अक्टूबर 2021 को बैठक आहुत की गयी थी। बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु आपको पूर्व में प्रेषित किया गया था। कार्यालय मिशन निदेशक के पत्र संख्या - UKHFW/S/NHM/NCD/2016/NTCP LetterIII /5198 के दिनांक 30.03.2022 के अनुपालन के क्रम मे. जिसके अन्तर्गत कार्यप्रत के बिन्दु संख्या - 07 राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में एक ग्रम पंचायत को तम्बाकू मुक्त घोषित करने की कार्यवाही किए जाने हेतु कार्यवाही की जाये, जिसमें पंचायत स्तर से सचिव प्रधान, सरपंच व ग्रम प्रधान को उत्तराधायित्व प्रदान करते हुए कार्यवाही कि जायगी। (सलंगन)

अतः प्राप्त निर्देशों के क्रम मे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन०टी०सी०पी०) के अन्तर्गत सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य के समस्त जनपदों में ग्रम पंचायतों को तम्बाकू मुक्त बनाया जाना है।

अतः उक्त निर्देशों के क्रम मे अपने अधीनस्थ प्रत्येक विकासखण्ड में एक ग्रम पंचायत को तम्बाकू मुक्त किया जाना है, अतः प्राप्त उक्त निर्देशों के क्रम मे आतिथि तक की गयी कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार

पत्रांक-एन०टी०सी०पी०/२०२२-२३ / २३८५ -०१-०५ तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. राज्य नोडल अधिकारी एन०टी०सी०पी० उत्तराखण्ड देहरादून।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार